मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

"MAPSERCOM"

रेसीडेन्सी एरिया, डेली कॉलेज रोड़,
दूरभाष : 2701624, 2702979
FAX - 2701079
email - secretarypsc-mp@nic.in
soexam8psc@mp.gov.in

क्रमांक 486/04/2020/प–8 इन्दौर, दिनांक 01.06.2021

प्रति,

कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय, सीधी,
सीधी (म.प्र.)

विषयः– राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2020 हेतु कोविड संक्रमित अभ्यर्थियों के संबंध में अतिरिक्त विशेष परीक्षा केन्द्र निर्मित करने के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश।

संदर्भः– 01. आयोग का निर्णय दिनांक 24.05.2021
02. गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/दो–सी–2, दिनांक 29.05.2021

————

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा–2020 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 20.06.2021 को समस्त जिलों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या से आप विदित है। कोरोना संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए संक्रमण दर का आंकलन करते हुए कोरोना संभावित छात्रों के लिए पृथक विशेष परीक्षा केन्द्र/कक्षों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिये निम्नानुसार व्यवस्था की जानी है :–

01. आपके जिले के परीक्षा केन्द्रों पर कुल 2745 परीक्षार्थी बैठेंगे, उसमें 40 संभावित कोविड अभ्यर्थियों हेतु 01 परीक्षा केन्द्र 41/08 अतिरिक्त रूप से निर्धारित किया जाना है।
02. कोरोना पॉजिटिव समस्त अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की गाईडलाईन के अनुसार प्रत्येक संभाग/जिला मुख्यालय पर पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त/विशेष परीक्षा केन्द्र उपरोक्तानुसार निर्धारित कर उनकी विस्तृत जानकारी आयोग को 05 दिवस में उपलब्ध करावें।
03. कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों हेतु पृथक से निर्धारित इस परीक्षा केन्द्र में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को बैठाने की व्यवस्था की जावें। कोविड संक्रमित अभ्यर्थी की जानकारी परीक्षा प्रभारी को प्राप्त होने पर वे सर्वप्रथम ऐसे संक्रमित अभ्यर्थियों को कोविड केन्द्र पर भेजेंगे। ऐसे भेजे गए अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी परीक्षा केन्द्र प्रभारी स्तर पर रखी जावेगी तथा केन्द्र पर भी सभी जानकारी संधारित की जावेगी। **प्रारूप संलग्न हैं।**

04. यदि कोविड संक्रमित परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को सूचित करता है, तो यह उनका दायित्व होगा कि वे जिले के परीक्षा प्रभारी से सम्पर्क कर अभ्यर्थी को उसके लिए आवंटित कोविड परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को भेंजे।

05. कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र यथासंभव मेडिकल कालेज में/अस्पताल के निकट निर्धारित किया जावे, जिससे कि आपातकालीन परिस्थितियों में इस केन्द्र के कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके।

06. प्रारंभिक परीक्षा के दिन आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर कोविड पॉजिटिव परीक्षा केन्द्र तक आवागमन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जावे।

07. परीक्षा दिवस को लॉकडाउन की स्थिति रहने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचने हेतु जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा दिवस के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, सिटी बस आदि का आवागमन जारी रखना सुनिश्चित किया जावे।

08. कोविड पॉजिटिव परीक्षार्थियों हेतु पृथक से निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर अन्य सामान्य अभ्यर्थियों को शामिल न किया जावे।

09. कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर चिकित्सा विभाग से डॉक्टर्स/नर्सों को वीक्षकीय कार्य हेतु लगाया जावे।

10. कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर वीक्षकीय कार्य हेतु पूर्व निर्धारित मानदेय राशि रूपये 800/– प्रति सत्र का दोगुना अर्थात् राशि रूपये 1600/– प्रति सत्र का भुगतान किया जावे।

11. निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में पृथक कक्षों (आइसोलेशन कक्ष) में परीक्षा संचालित की जाएगी। ये कक्ष ऐसे होने चाहिये कि कोविड–19 से प्रभावित अभ्यर्थियों को सीधे परीक्षा हेतु लाया जा सके। कोविड पॉजिटिव परीक्षार्थी हेतु इस विशेष परीक्षा केन्द्र में उस जिले के कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवागमन की व्यवस्था की जावेगी।

12. कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र की समस्त परीक्षा सामग्री सेनेटाईज कर अलग से लिफाफे में रखी जावेगी। इस लिफाफे पर बड़े अक्षरों में ''कोविड–19 संक्रमित अभ्यर्थी'' अवश्य ही लिखा जावे।

13. समस्त परीक्षा केन्द्रो पर पी.पी.ई. किट, दस्ताने, मास्क, सेनेटाईजर आदि सामग्री सहित कोविड हेतु निर्धारित समस्त नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

14. समस्त संभाग/जिला मुख्यालयों के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर भी एक–एक पृथक कक्ष (आइसोलेशन कक्ष) बनाया जावे ताकि बुखार, सर्दी, खांसी आदि से प्रभावित अभ्यर्थियों को अलग से बिठाया जा सके। ऐसे कक्ष का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। ऐसे अतिरिक्त कक्ष हेतु चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग स्टॉफ की वीक्षकीय ड्यूटी लगाई जावे।

15. प्रत्येक केन्द्र पर थर्मल स्केनिंग मशीन तापमान लेने हेतु रखी जावे।

16. प्रत्येक केन्द्र पर 02 पी.पी.ई. किट अवश्य ही उपलब्ध कराये जावें।

17. प्रत्येक कोविड–19 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार पी.पी.ई. किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायी जाये।

18. ऐसे विशेष पृथक कक्षों हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे/विडियोग्राफी की व्यवस्था अनिवार्यतः करें।

19. संभाग / जिला मुख्यालयों के प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों को प्रत्येक सत्र में सेनेटाईज किया जावे।
20. संभाग / जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर एक बड़े सेनेटाईज UV बॉक्स की व्यवस्था की जावे, जिसमें से सेनेटाईज करने के उपरांत ही ऐसे छात्रों से ओएमआर शीट एवं अन्य परीक्षा सामग्री प्राप्त की जावेगी।
21. कोरोना प्रभावित छात्रों को परीक्षा के एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र तक लाने की जिम्मेदारी संभाग / जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग से करेगा।
22. कोविड परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा प्रभारी को पूर्व में सूचित किये जाने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों मे भी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाए।
23. सभी उपस्थित परीक्षार्थियों से केन्द्र में प्रवेश करते समय संलग्न Self Declaration Form प्रारूप में प्राप्त किया जावे। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा दिवस को भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे प्रारूप भरवाकर उसे पॉजिटिव परीक्षार्थियों के केन्द्र विशेष पर स्थानांतरित किया जावे।
24. परीक्षार्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जा रहा है।
25. निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर पुरूष एवं महिला प्रसाधनों की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।
26. भारत सरकार द्वारा जारी, म.प्र. शासन के स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग द्वारा जारी एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंध समिति द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन सभी परीक्षा केन्द्रों में सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः–

01. गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 35–09 / 2020 / दो–सी–2, दि.29.05.2021
02. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का पत्र, दिनांक 18.03.2021
03. स्व प्रमाणीकरण घोषणा–पत्र।

(डॉ. एम.एल. जैन(गोखरू))
परीक्षा नियंत्रक